ऑन लाईन नं. RCMS 2026/6

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 02/2026

1. साहबराम पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
2. पुष्पेन्द्र पुत्र अजय कुमार जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
3. सोनू पुत्री अजय कुमार जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
   अपीलांट संख्या–3 नाबालिगान जरिये कुदरतीवली माता ममता पत्नी अजय कुमार जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।
4. ममता पत्नी अजय कुमार जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. शिमला देवी पुत्री साहबराम पत्नी पालाराम जाति जाट निवासी भांभूवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :–
1.श्री धमेन्द्र शर्मा , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री जयप्रकाश अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर अनवानी शिमला बनाम साहबराम वगैरा चक 14 एस.डी.पी. के खाता संख्या 100/8 के पत्थर नम्बर 9/185 मुरब्बा नम्बर 38 में 1.250 हैक्टर भूमि का इंतकाल संख्या 636 दिनांक 08.01.2026 दर्ज किया गया है, को निरस्त करने हेतू।

:: आदेश ::

दिनांक :–15.05.2026

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून, खिलाफ वाकयात व इन्साफ न होने की वजह से काबिले निरस्ती है। नकल आदेश शामिल अपील है।
2. यह कि अपीलांट संख्या–1 के नाम से तहसील सादुलशहर के चक 14 एस.डी.पी. के खाता संख्या 100/8 के पत्थर नम्बर 9/184 , मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 11 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 15/1 में 0.2280 हैक्टर नहरी, किला नम्बर 15/2 में 0.0250 हैक्टर कुल 1.2650 हैक्टर नहरी मय खाला रकबा पर अपीलांट संख्या 1 का कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में सरसों की फसल

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

काश्त की हुई है तथा अपीलाट संख्या 1 द्वारा अपने पिता रूधाराम से 4 बीघा रकबा जरिये दस्तावेज बैयनामा के खरीद किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश दिया गया जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में इंतकाल करवा लिया गया है, जो बिधि–विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। बैयनामा की प्रति सलंग्न है।

3. यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी व अन्य मौखिक साक्ष्य बाबत व पारिवारिक समझौता को साबित नहीं किया है। बिना दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाये, बिना मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये दावा डिक्री नहीं किया जा सकता इस तथ्य की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी गलती की है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व कानून व उनके तहत बने नियमों , उपनियमों की पालना की अनदेखी कर कानूनी कोताही की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रकबा को येन–केन अपना नाम दर्ज करवाकर रहन, बैय व अन्य दिगर तरीके से कब्जा प्राप्त करवाने के प्रयास में है तथा अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट की सरसों फसल काश्त की हुई है अगर वह अपने इस मकसद में कामयाब हो जाती है तो अपीलांटान को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नहीं हो पायेगी। ऐसी सूरत में अपीलाधीन आदेशकी क्रियान्विति स्थगित की जाकर अपीलाधीन इंतकाल निरस्त कर वापिस रकबा का इंतकाल अपीलांट संख्या 1 के नाम से दर्ज किया जाना इंसाफन आवश्यक है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 दौराने अपील अपीलाधीन भूमि को रहन, बैय व अन्य दिगर तरीके से बैय करने से निषेध रहे।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय इंतकाल संख्या 636 दिनांक 08.01.2026 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस अपने जवाब दिनांक 24.04.2026 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपील में वर्णित कृषि भूमि चक 14 एस. डी.पी. के खाता संख्या 100/8 के पत्थर नम्बर 9/185 के मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर नम्बर 11 ता 14 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 15/1 में 0.228 हैक्टर नहरी, किला नम्बर 15/2 में 0.025 हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर नहरी मय खाला रकबा अपीलांट संख्या 1 को विरास्तन प्राप्त हुई थी जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का वारिस होने के कारण हिस्सा था जिसे उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय प्रकरण संख्या 181/2017 में निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2026 को उक्त वर्णित भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के नाम दर्ज करने व अपीलांट संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन का आदेश पारित हुआ था। तहसीलदार सादुलशहर ने उक्त डिक्री के आधार पर ही इन्तकाल संख्या 636 दिनांक 08.01.2026 की प्रविष्टि की है। उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है तथा उक्त भूमि पर कोई हक भी अपीलांट का नहीं है। अपीलांट ने न्यायालय को भ्रमित करने के लिए गलत तयि दर्ज किए है। अपीलाधीन

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर द्वारा पारित किया गया है जिसकी डिक्री के अनुसार ही इंतकाल दर्ज किया गया है। उक्त आदेश की अपील अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में की गयी थी जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा निर्णय दिनांक 16.03.2026 को खारिज कर उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय को यथावत रखने के आदेश दिये थे। राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 16.03.2026 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील एवं स्थगन प्रार्थना प्रस्तुत किया जिसमें अंतरिम आदेश दिनांक 25.03.2026 में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपीलाधीन भूमि को केवल आगामी पेशी 18.05.2026 तक विक्रय न करने के आदेश दिये है। इन्तकाल संख्या 636 दिनांक 08.01.2026 उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय के द्वारा पारित डिक्री के अनुसार तहसीलदार राजस्व सादुलशहर द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपहेल्ड किया गया है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित डिक्री जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दी जाती तब तक इन्तकाल संख्या 636 निरस्त नहीं किया जा सकता। उक्त वादाधीन कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपील वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 18.05.2026 है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील लिखित बहस निम्नानुसार पेश की :–

1. यह कि इंतकाल उसी रोज किया गया है प्रक्रिया अनुसार न करके केवल मात्र अपने नाम जमीन अतिशीघ्र करवाने के उद्देश्य से कानून की पालन न करके उक्त इन्तकाल दर्ज किया गया है।
2. यह कि इन्तकाल में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और ना ही नियम 132 व 134 लैण्ड रिकॉर्ड रूल में इंतकाल करने से पूर्व मौके पर जाकर जांच की जाती है। पक्षकारों को नोटिस दिये जाते है, सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाता है, आवश्यकता होने पर इंतकाल के लिए अखबार में भी सूचना छपवाई जाती है। उक्त सभी मापदण्डो की पालना नहीं हुई। इसलिए यह इंतकाल खारिज होने योग्य है।
3. यह कि उक्त पत्रावली में रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से डिक्री पर स्टे जारी किया हुआ है। इंतकाल के दौरान उस दिन रेवेन्यू मैटर जारी था और रेवेन्यू केस के चलते ही बीच में इंतकाल कर दिया गया है जो कानून की दृष्टि से गलत है। इसलिए उक्त इंतकाल खारिज करने योग्य है।
4. यह कि धारा 52 टीपी का सिद्धान्त तब लागू होता है जब कोई केस पेडिंग हो तब कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसमें धारा 52 टी पी एक्ट के सिद्धान्तो की पालना न करे केस के चलते उक्त इंतकाल कर दिया गया ।
5. यह कि अगर इस इंतकाल को खारिज नहीं किया जाता तो मेरी अपील का मकसद रेवेन्यू बोर्ड में खत्म हो जायेगा। इसलिए जब तक रेवेन्यू बोर्ड का निर्णय नहीं आ जाता तब तक के लिए इस इंतकाल को खारिज फरमाया जावें ताकि कानून की

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दृष्टि से सही निर्णय हो सके। इसलिए उक्त इंतकाल को तुरन्त प्रभाव से खारिज किया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलकृत इन्तकाल संख्या 636 दिनांक 08.01.2026 को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सादुलशहर द्वारा उक्त विवादित इन्तकाल संख्या 636 दिनांक 08.01.2026 जो स्वीकृत किया गया है वह उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के न्यायालय प्रकरण संख्या 181/2017 में निर्णय व डिक्री दिनांक 05.01.2026 की पालना में स्वीकृत किया गया है जिसकी अपील का सुनवाई का क्षेत्राधिकारी इस न्यायालय को नहीं होने के कारण उक्त अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलार्थी क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner